तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **सीताराम यादव बनाम राजस्थान सरकार** **अपील संख्या 2026/102**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.04.26	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी का दौराने बहस कथन रहा है कि अपील उक्त अपील को आगे नही चलाना चाहता है तथा अपील को आगे नही चलाये जाने के कारण खारिज किया जाना आवश्यकीय है। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील खारिज किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावें। हमने अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे विदित होता है कि अपीलार्थी स्वयं ही अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहते है एवं खारिज करवाना चाह रहे है। ऐसी स्थिति में अब हस्तगत पत्रावली को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील आगे नही चलाये जाने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। **(वे.सरवण कुमार)** संभागीय आयुक्त, जयपुर।	